बालक एवं कार्य

12.1 संवैधानिक एवं नीतिगत ढ़ाँचा

- बाल श्रम समस्या का सामना करने के मामले में भारत ने सक्रिय नीति का निरन्तर पालन किया है । भारत बाल श्रम को हटाने के लिए अपेक्षित संवैधानिक , सांविधिक एवं विकासात्मक उपायों के प्रति सदा दृढ़ रहा है ।
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बालकों के लिए अनिवार्य सामान्य प्राथमिक शिक्षा के साथ - साथ श्रम संरक्षण का प्रबंध करने के लिए संगत उपबंधों को संविधान में सावधानी से समाविष्ट किया । श्रम आयोग एवं समितियाँ बाल श्रम की समस्याओं का अध्ययन करके अनेक सिफारिश की हैं । बाल श्रम प्रथा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय सहित भारत की पूरी न्यायपालिका ने गहरी सहानुभूति व्यक्त की है । इस प्रकार बाल श्रम पर भारत की नीति कई वर्षों से विकसित हुई है ।

<table>
<tr><td colspan="2" align="right">बॉक्स 12.1</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">संवैधानिक उपबंध</td></tr>
<tr><td>अनुच्छेद 24
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ।
"चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा "।

अनुच्छेद 39
राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :-
ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हों ।</td>
<td>(च) बालकों से स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएं और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए ।

अनुच्छेद 45

बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध

राज्य संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर इन सभी बालकों को 14 वर्षों की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा ।</td></tr>
</table>

12.2 कार्य पर बालकों के कानूनी संरक्षण

- कारखानों, खानों एवं परिसंकटमय नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन को रोकना एवं अन्य नियोजनों में बालकों की कार्य स्थिति को नियंत्रित करना भारत सरकार की नीति है ।
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 इस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है । अधिनियम की अनुसूची भाग - क एवं ख में सूचीबद्ध व्यवसायों एवं प्रक्रियायों में बालकों के नियोजन से यह अधिनियम प्रतिषेध करता है । दिनांक 26.5.1993 की अधिसूचना के जरिए सभी नियोजनों में बालकों की कार्य स्थिति को नियमित कर दिया गया है, जिन्हें बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषेध नहीं किया गया है । बाद में जारी अधिसूचनाओं के जरिए 6 अधिक व्यवसायों तथा 33 प्रक्रियाओं को जोड़कर अनुसूची को बढ़ा दी गई है, जिससे कुल व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की संख्या क्रमशः 13 एवं 57 हो गई है ।
  अधिनियम की अनुसूची में अन्य व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 प्रबंध करती है । सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा अधिकतम 10 अन्य सदस्यों से समिति बनती है ।

12.3 राष्ट्रीय बाल श्रम नीति

- सरकार ने अगस्त, 1987 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी । राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत कार्य योजना निम्न प्रकार हैं :-

  * वैधानिक कार्य योजना ;
  * यथासंभव बालकों के हित में सामान्य विकास कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान देना और
  * मजदूरी / अर्ध मजदूरी रोजगार में लगे बाल श्रमिकों से भरे क्षेत्रों में परियोजना पर आधारित कार्य योजना

- परियोजना पर आधारित कार्य योजना के अंतर्गत 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी) को आन्ध्रप्रदेश (जग्गमपेट तथा मार्कापुर) बिहार (गढ़वाह), मध्यप्रदेश (मंदसौर), महाराष्ट्र (थाणे), उड़ीसा (संबलपुर), राजस्थान, (जयपुर), तमिलनाडु (शिवकाशी) और उत्तरप्रदेश (वाराणसी - मिर्जापुर - भदोही, मुरादाबाद, अलीगढ़, तथा फिरोजाबाद) में आरंभ किया गया था ।

- नियोजन से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के लिए एन सी एल पी के अंतर्गत विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार, स्टाइपेंड, स्वास्थ्य सुरक्षा इ. का प्रावधान करना प्रमुख गतिविधि है ।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजट नियतन रुपए 667.50 करोड़ है ।

- बाल श्रम से मुक्त कराए गए लगभग 2.11 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए 13 बाल श्रम श्रमिक पीड़ित राज्यों में वर्तमान में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएँ कार्यरत हैं ।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान 100 बाल श्रम परियोजनाओं को निरन्तर चलाने के लिए सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । 150 अतिरिक्त बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अनुमोदन दे दिया गया है । दिनांक 14.01.2004 को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 जिलों को चुना गया ।

- बाल श्रम उन्मूलन के लिए आयोजित विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा दर्शाती है कि इस बहुत पुरानी सामाजिक प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जाने के बावजूद भी भौतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारी मात्रा में संसाधनों को जुटाते हुए बहु आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है ।

- कार्यक्रम के किसी विस्तार पर विचार करने से पहले, स्वतंत्र मूल्यांकन एजसियों के जरिए वर्तमान परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना उचित समझा गया था । तद्नुसार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में चुनिंदा बाल श्रम परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पाँच मूल्यांकन एजेंसियों को पहचाना गया था । प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि परियोजनाओं के द्वारा पुनर्वास उपायों के जरिए बाल श्रम समस्या की प्रबलता को काफी हद तक कम किया जा सकता है । यह भी पता चला है कि विशेष विद्यालयों या शिविर के घटकों को जारी रखने की आवश्यकता है । लोगों में जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया ।

- सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया था । केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति के समकक्ष राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समितियों का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को लिखा गया है । रा. बा. श्र. प. के प्रचालन की गति तथा प्रगति का अनुवीक्षण करने हेतु जिला तथा राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा रही है । परियोजना संस्थाओं को परियोजना प्रचालन शिक्षकों का चयन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के विषय तथा विषय साहित्य, अध्ययन प्रतिफल का मूल्यांकन, बालकों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित विषयों पर विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं ।

- 2001 में स्वतंत्र एजेसियों द्वारा देश में कार्यरत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत प्रयास किया गया । प्रथम चरण में 50 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया । इस मूल्यांकन प्रयास में वी. वी. गिरि रा. श्र. सं. का सहयोग लिया गया था । मूल्यांकन के निष्कर्ष तथा सिफारिश निम्नलिखित हैं :

* अधिकांश क्षेत्रों के समुदाय ने रा. बा. श्र. प. (एन. सी. एल. पी.) के विद्यालयों को खोलने का स्वागत किया । इससे उस इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

* शिक्षकों / प्रशिक्षकों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) द्वारा प्रशिक्षित किए जाने अथवा उन्हें जिला में स्थित डी . आई. ई. टी. / डी. आर. यू. द्वारा क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किए जाने के प्रयास सफल हुए हैं जैसा कि रा. बा. श्र. यो. विद्यालयों में दाखिल होने वाले बालकों की विशेष आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षकों की समझ बढ़ गई है ।

* जबकि, कुछ जिलों में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अनुसार अध्यापन किया जाता है, अन्य जिलों में औपचारिक पाठशाला पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है । रा. बा. श्र. प. केन्द्रों में औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को मुख्य धारा की शिक्षा में लाना आसान है । कुछ क्षेत्रों में जहाँ दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों को मिश्रित करके पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भी बालकों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया प्रभावकारी रही है । विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को अपनाने के कारण भिन्न - भिन्न क्षेत्रों में मुख्य धारा में लाने की स्थिति विविध रूपों में दिखाई दे रही है ।

* जबकि, मुख्य धारा में लाने के संबंध में वांछनीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोनों में से कोई भी एक पाठ्यक्रम को अपनाना उपयुक्त हो सकता है , यहाँ पर अध्यापन - अध्ययन सामग्री की पर्याप्त एवं यथासमय आपूर्ति करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय स्तर पर अथवा कम से कम राज्य स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होने की वांछनीयता की जाँच की जानी चाहिए ।

* अपने बच्चों को विशेष पाठशाला में भेजने के लिए दोपहर का भोजन तथा छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) का प्रावधान अभिभावकों को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है ।

* कुछ परियोजनाओं में छात्रवृत्ति राशि (स्टाइपेंड मनी) का उपयोग बाल श्रमिकों को अनुपूरक पोषक आहार देने अथवा यूनिफॉर्म देने के लिए किया जाता है । इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन मिलता दिखाई देता है । चूँकि, सामान्यतया विशेष विद्यालयों में भरती किए गए बालकों के अभिभावकों की सहमति से ही इनका आरंभ किया जाता है ।

* बालकों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश करने में मदद करने हेतु उनकी अध्ययन उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से परीक्षाएँ आयोजित करने की आवश्यकता है ।

* एक बार बालकों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्य धारा में लाए जाने के बाद विद्यालयों में उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा नए पाठ्यक्रम को समझने में हो रही कठिनाइयों का समाधान करने में उनको मदद करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है ।

* परियोजना सोसाइटी में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक परियोजना निदेशक दोनों पाए जाते हैं । रा. बा. श्र.प. की गतिविधियों में गति लाने हेतु पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की नितांत आवश्यकता है ।

* सरकारी विभागों के अंतर्गत ही अनेक रा. बा. श्र. योजनाएँ प्रभावी रूप से शिक्षा/ मंत्रालय विभाग तथा स्वास्थ्य मंत्रालय में समाविष्ट हुई हैं । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग में समावेश के लिए सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ।

* बाल श्रम समस्या का समाधान करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा (1998) में बताया गया है । एजेंडा के अनुसार यह सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बालक निरक्षर, भूखा अथवा चिकित्सा रहित न रहे और बाल श्रम उन्मूलन हेतु उपाय किए जाएं ।

12.4 बाल श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

➢ बाल श्रम उन्मूलन के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार - विमर्श किया गया है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1996 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/1986 में अपना निर्णय देते हुए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बालकों को वहाँ से हटाकर उनके पुर्नवास की व्यवस्था करने तथा जोखिम रहित व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य परिस्थितियों को व्यवस्थित करने तथा सुधारने के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं ।

➢ 10 दिसम्बर, 1996 के निर्णय में दिए गए मुख्य निर्देशों में छह मास के भीतर जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाए ; बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन कर बाल श्रमिकों को काम पर लगाने वाले नियोजकों से जुर्माने के रूप में रुपए 20, 000/- की रकम वसूल की जाए ; बाल श्रमिक परिवार के किसी बड़े सदस्य को उसी उद्योग में वैकल्पिक काम दिया जाए जहाँ बालक काम करता था ; अथवा जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे प्रत्येक बाल श्रमिक को संबंधित सरकार द्वारा रुपए 5000/- की राशि का भुगतान किया जाए ; काम से निकाले गए बालकों के परिवार को समग्र निधि के रुपए 25,000/- (रुपए 20,000/- नियोजक के तथा रुपए 5,000/- सरकार के) की समस्त आय दी जाए ; बाल श्रमिकों को काम से निकालने के बाद शिक्षा दिलाने के लिए उपयुक्त संस्था में भेजने का प्रावधान किया जाए तथा बाल श्रम पुनर्वास - सह - कल्याण निधि का गठन किया जाए ; उपर्युक्त निर्देशों को सुनिश्चित करने हेतु अनुवीक्षण की दृष्टि से संबंधित सरकर के श्रम विभाग में एक अलग कक्ष का गठन किया जाए आदि शामिल है ।

- 7 मई, 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या 12125/84 एवं 11643/85 बन्धुवा मुक्ति मोर्चा आदि (प्रार्थी) बनाम भारत सरकार एवं अन्य (प्रतिवादी) में भी बाल श्रम को पहचानने, मुक्त करने तथा पुनर्वास करने के संबंध में अनेक निर्देश दिए हैं । साथ ही साथ न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 465/86 में बताई गई योजना के अनुकूल सभी नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नौकरी में लगाने को क्रमिक रूप से बहिष्कार करने के लिए सिद्धान्तों / नीतियों को तैयार करने हेतु राज्य सरकारों की बैठक बुलाने का निदेश दिया । ये निदेश उत्तर प्रदेश राज्य में कालीन उद्योगों में बालकों के नियोजन के प्रसंग में न्यायालय द्वारा दिए गये थे । इस मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित निदेश दिए :

    * बालकों की नियोजन शर्तों की जाँच - पड़ताल की जाए ।

    * 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को पूरी तरह प्रतिषेध करते हुए उपयुक्त कल्याणकारी निदेश जारी किए जाएं ।

    * शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पौष्टिक आहार आदि जैसी सुविधाओं का प्रबंध किया जाए ।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा राज्य / संघ प्रदेश सरकारों से समय - समय पर प्राप्त सूचना के आधार पर माननीय न्यायालय को निर्देश के अनुपालन की स्थिति बताई जा रही है ।

12.5 स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता

- बाल श्रम के पुनर्वास के लिए कार्योन्मुख परियोजनाओं की जिम्मेवारी लेने के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों को परियोजना कीमत की 75% राशि की वित्तीय सहायता दी जा रही है । वर्ष 2003-2004 के दौरान योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई थी । सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से आवधिक रिपोर्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रों के निरीक्षण इन परियोजनाओं के अनुवीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

12.6 बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (बा. श्र. रा. सं. के.)

श्रम मंत्रालय एवं यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से मार्च, 1993 में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उ. प्र. में बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन. आर. सी. सी. एल) की स्थापना की गई । केन्द्र को प्रलेखन, बाल श्रम पर आंकड़ों (डाटा बैंक) की रचना एवं प्रकाशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, संचार प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थ सेवाएं आदि का कार्य सौंपा गया है । केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं एवं बाल श्रम के क्षेत्र में लगे अन्य सामाजिक समूहों को भारत में बाल

श्रम के प्रगामी उन्मूलन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, समर्थन, मीडिया प्रबंधन, प्रलेखीकरण, प्रकाशन एवं वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान करना । पश्चिम बंगाल में इस मंत्रालय की अनुदान सहायता योजना का मूल्यांकन और बूचड़खाना एवं सम्बद्ध गतिविधियों में बाल श्रम पर विषय अध्ययन उनकी कुछ मुख्य अनुसंधान गतिविधियों में सम्मिलित है । बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन. आर. सी. सी. एल.) बाल श्रम परियोजनाओं में लगे कार्मिकों के लिए अभिविन्यास एवं संवेदनशील कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है ।

12.7 बाल श्रम बहिष्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपेक)

- "बाल श्रम बहिष्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम" एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिसम्बर, 1991 में आरंभ किया गया । सन् 1992 में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश भारत था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया । आइपेक का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन में योगदान देना है । इसके तत्काल उद्देश्य निम्न हैं :

    * बाल श्रम बहिष्करण के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने, कार्यान्वयन करने एवं मूल्यांकन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के घटकों एवं गैर सरकारी संगठनों की क्षमता की वृद्धि करना ;
    * समुदाय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर अनुकरण योग्य मध्यस्थताओं को पहचानना ; और
    * बाल श्रम बहिष्करण के अनुकूल जागरूकता उत्पन्न करना एवं सामाजिक परिवर्तन लाना ।

- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों, दाताओं एवं सहभागी देशों से बनी कार्यक्रम संचालन समिति आइपेक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति है । आइपेक कार्यक्रम प्रबंधन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय से किया जाता है । भारत में राष्ट्रीय स्तर पर श्रम सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्र संचालन समिति गठित की गई है । यह त्रिपक्षीय संगठन है जिसके गैर- सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं ।
- आइपेक - भारत ने वर्ष 1992- 2000 के दौरान 165 से अधिक प्रभावी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है । इनके अलावा आन्ध्र प्रदेश में एकीकृत क्षेत्र विशिष्ट परियोजना एवं राज्य स्थित परियोजना बृहत् एवं व्यापक परियोजनाएं हैं।
- आजकल आइपेक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय एवं श्रम विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका (सं. रा. अ. श्र.वि.) द्वारा निधिबद्ध इंडस बाल श्रम परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश जैसे चार राज्यों के 20 जिलों के 10 जोखिममय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया है । लगभग 80,000 बच्चे काम से हटाकर इस परियोजना में पुनर्नियुक्त किए जाएंगे । भूतपूर्व बाल श्रमिकों के 10, 000 परिवारों को सहायता भी प्रदान की जाएगी ।

- हाल ही में आयोजित आइपेक कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सहित विभिन्न फोरमों में बल दिया गया है कि सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों, प्राथमिकताएँ एवं कार्यक्रमों के संयोजन से आइपेक की गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए । सम्बन्धित सदस्य राज्य को चाहिए कि वे आइपेक के अंतर्गत की जानेवाली गतिविधियों की पूरी जानकारी रखें । राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए और समय से मंजूरी की सूचना के साथ - साथ धन भी दे देना चाहिए । भारत में आइपेक की गतिविधियों हेतु निधि बढ़ाने की आवश्यकता और विशिष्ट परियोजनाओं को अंशदान नहीं देने पर बल दिया गया ।

- भारत में आइपेक के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर सन् 1992 में हस्ताक्षर किया गया जिसकी तिथि 31 दिसम्बर, 1996 को समाप्त हो गई । इसके बाद समय- समय पर इसकी तिथि बढ़ा दी जा रही है । आपसी पत्र व्यवहार द्वारा आइपेक कार्यक्रम की तिथि दिसम्बर, 2006 तक बढ़ा दी गई है । आइपेक कार्यक्रम की तिथि आगे सितम्बर, 2006 तक बढ़ाई जा रही है ।

12.8 दसवीं योजना की रणनीति

दसवीं योजना में बाल श्रम बहिष्करण की नीतियाँ एवं कार्यक्रम जारी रहेगें । उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । योजना अवधि की समाप्ति तक परिसंकटमय गतिविधियों में बाल श्रम को हटाना कार्यक्रम का उद्देश्य है । इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को 150 अतिरिक्त जिलों में लागू किया जा रहा है । इनमें से 50 नये जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना में पहले से सम्मिलित कर दिया गया है ।

शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं महिला और बाल विकास विभाग की चालू योजनाओं के साथ अभिसरण एक समयबद्ध तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विवेचनात्मक भूमिका निभाएगा । मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़कर दसवीं योजना में बाल श्रम बहिष्करण प्रयास मजबूत किए जा रहे हैं । इसके अंतर्गत 5-8 वर्ष की आयु समूह के बाल श्रमिक औपचारिक विद्यालयों के जरिए सीधे मुख्य धारा में लाए जाएंगे । 09 - 14 वर्ष की आयु समूह के बाल श्रमिक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष विद्यालयों के जरिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली से मुख्य धारा में लाए जाएंगे । इसके अलावा दसवीं योजना के दौरान औपचारिक विद्यालय प्रक्रिया गुणवत्ता एवं संख्या दोनों के विषय में मजबूत की जाएगी ।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम जोड़ने / सुदृढ़ बनाने एवं निश्चित महत्वपूर्ण पैरामीटरों के लिए भी संशोधित कर दी गई है । संशोधित योजना निम्न प्रकार है :

- व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों के व्यावसायिक अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए प्रवीण व्यावसायिक प्रशिक्षक को काम में लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

- बालकों की प्राथमिक स्वास्थ्य इलाज हेतु प्रत्येक 20 विद्यालयों के लिए एक चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का भी प्रावधान कर दिया गया है ।

- विशेष विद्यालयों में बालकों के पोषण सम्बन्धी प्रावधान की राशि प्रति दिन प्रति बालक को रुपये 2.50 से प्रति दिन प्रति बालक को रुपये 5.00 तक दुगुना कर दी गई है ।

- प्रति बालक को प्रतिमाह 100 रु. की छात्रवृत्ति वितरित करने की वर्तमान व्यवस्था के बदले में, संशोधित योजना में, मासिक छात्रवृत्ति बालक के बैंक खाता में नियमित रूप से जमा की जाएगी और उसे सामान्य विद्यालय की मुख्यधारा में लाने के समय एकमुश्त राशि वितरित की जाएगी ।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को चलाने में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक संगठन जिला स्तर पर सहायता करते हैं । केवल स्वीकृत एवं प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों के जरिए पुनर्वास विद्यालयों को चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के दौरान प्रयास करना होगा ताकि ऐसे विद्यालयों को चलाने से सरकारी मशीनरी पर अधिक भार न पड़े ।

- उपर्युक्त रणनीति को अपनाने और प्रवर्तन की वर्तमान संस्थापित प्रक्रियाओं से इसे मिलाने से यह आशा की जाती है कि योजना अवधि की समाप्ति तक बाल श्रमिकों में प्रबल कमी आएगी ।

संसाधनों की कमी एवं सामाजिक संचेतना और जागरूकता के प्रभावी स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जोखिममय क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन हेतु 10वीं योजना की समाप्ति तक समय निर्धारित किया है । जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में उन्मूलन प्रयास आरंभ करके सभी प्रकार के बाल श्रमिकों का उन्मूलन करना अपने आप में एक प्रगामी प्रक्रिया है ।

*****